



UPSB010022492026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0) (सी0ए0डब्लू0), सोनभद्र
पीठासीन अधिकारी—विपिन कुमार—III (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP-6486
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—998 / 2026

अखिलेश यादव पुत्र शंकर, बउम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम मझुई, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र
...आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या—77 / 2026,
धारा—69, 351(2), 352 भारतीय न्याय संहिता
थाना—रायपुर, जनपद सोनभद्र।

02.06.2026:—

1. आवेदक/अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र शंकर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 77 / 2026, धारा—69, 351(2), 352 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र, के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ।
2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली के आदेश पत्रक पर बल न देने का पृष्ठांकन किया गया है।
- 3^ण चूंकि आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं दिया गया। अतः बल न देने के कारण जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।
पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(विपिन कुमार—III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
(एफ0टी0सी0) (सी0ए0डब्ल्यू0)
सोनभद्र
I.D. No.-U.P.-6486